अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. कल्याण पुत्र रामकिशन
जाति मीणा निवासी लालगढ
तह. बस्सी।

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र भोमा
2. बिरदीचन्द पुत्र भोमा
जाति मीणा निवासी लालगढ
तह. बस्सी।

दावा बाबत इश्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी व तकासमा

मुकदमा नम्बर 288/16 दिनांक 02.05.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित है। वकील उभय पक्ष की वाद पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम लालगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर का कदीम वाशिन्दा, काश्तकार पेशा व्यक्ति, कौम से मीणा है। वादी रामकिशन का लडका है। छोगा व रामकिशन मोहना के लडके सगे भाई थे और छोगा की मृत्यु हो गई जिसके मृतक भोमा लडका था और मृतक भोमा के लडके प्रतिवादी नं. 1 व 2 है। संवत 1994 से 2003 की पैमाईश बन्दोबस्त के वक्त दीगर आराजी के अलावा आराजी ख.नं. 346 रकबा 16 बिस्वा व ख.नं. 348 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा बंजड मौजा लालगढ मृतक छोगा व मृतक रामकिशन के नाम व दीगर व्यक्ति रुघनाथ वल्द जीता 1/2 हिस्सा और छोगा व रामकिशन के नाम बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी, जिसका उपयोग बहैसियत खातेदार काश्तकार रुघनाथ और छोगा व रामकिशन सम्मिलित रुप से करते थे। पर बाद में रुघनाथ के वारिसान व वादी एवं छोगा के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के आपस में भूमि के बंटवारे हो गये। आराजी ख.नं. 346 व 348 में वादी का 1/2 हिस्सा रामकिशन का वारिस होने के कारण है और 1/2 हिस्सा छोगा के वारिसान प्रतिवादीगण का है। पर हाल में इस ख.नं. 346 व 348 के भूमि एकीकरण में चक नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा बना और कुछ रकबा दूसरे नम्बरों में चला गया है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही खानदान के है और उनके आपस में मनमुटाव भी नहीं है ,पर यह चक नम्बर 376 के रिकार्ड आफ राईटस में प्रतिवादीगण का नाम अंकित है और वादी का नाम अंकित नहीं है, इस कारण वादी को हर समय लगान अदा करने व अन्य राज्य कार्यों की व्यवस्था में व बैंक से लोन लेने में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि वे वादी के नाम चक नम्बर 376 के 1/2 हिस्से ग्राम लालगढ का इन्द्राज करा दे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि, मौके पर कब्जे के अनुसार व न्यायालय से अपने नाम करा लों। बस इसी से दिनांक 10.07.2000 से इस दावे के लिये बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया। चक नम्बर 376 मौजा लालगढ वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की जमीन है और भूमि एकीकरण से चक नम्बर 376 बनकर इसका इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम हो गया है, इस कारण वादी मुश्तहक है कि वह चक नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 7 बिस्वा जो वादी के कब्जे काश्त में है, और चक नम्बर 376 का उत्तर–पूर्वी हिस्सा है का वादी इश्तकार इस अमर का कराये कि वादी चक नम्बर 376 के 1/2 भाग उपरोक्त का काबिज खातेदार काश्तकार है और जिसका नियमानुसार तकासमा कराकर इन्द्राज दुरुस्त कराने का अधिकारी है और आइन्दा प्रतिवादीगण वादी के हक हकूक काश्त पर कोई हमला करके कोई क्षति न पहुंचावें, उसके लिये निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण डिग्री फरमाया जाकर इस्तकरार इस अमर का किया जावे कि चक नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके लालगढ तहसील बस्सी के उत्तरी–पूर्वी हिस्से में 1/2 हिस्से की यानि 01 बीघा 7 बिस्वा भूमि का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है, जिसका

Contd–2

नियमानुसार तकासमा किया जाकर वादी के नाम रिकार्ड ऑफ राईटस में दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावें। दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण डिग्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे चक नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम लालगढ में से 1/2 हिस्सा यानि 1 बीघा 14 बिस्वा उत्तरी–पूर्वी की तरफ वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मुजाहमत न करे।

उक्त वाद पत्र का वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दावे का मद नं. 2 में छोगा की मृत्यु होना स्वीकार है किन्तु छोगा के पांच पुत्र थे। अकेला भोमा नहीं है बल्कि महादेव, छीतर कालू एवं नहनू ओर थे जिन्हे दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। दावे के मद सं. 3 में वादी ने छोगा एवं रामकिशन की सारी खातेदारी की भूमियों को दावे में शामिल नहीं किया गया है जिसके अभाव में पूर्ण उत्तर दिया जाना संभव नहीं है इनके शामिल किये बिना दावे का निर्णय भी संभव नहीं है तथा दावा भी चलने योग्य नहीं है। पक्षकारों में भूमि के बंटवारा होने की बात भी मिथ्या है। दावे का मद नं0 5 असत्य तथा अस्वीकार है तथ्य मनगढन्त एवं निराधार है वादी का जब भूमि में कोई हिस्सा ही नही तो उसे दुरुस्त कराने को कहने की बात भी मिथ्या है वादी कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है। दावे का मद नं0 6 पूर्ण असत्य है तथा अस्वीकार है वादी का न तो भूमि पर कब्जा है तथा न ही भूमि में उसका कोई अधिकार ही है अतः वादी न तो बंटवारा कराने का अधिकारी है तथा न ही वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है अतः प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। वादी के स्वयं के कथनानुसार छोगा, व रामकिशन की उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमि ओर थी किन्तु उन्हें वाद में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें वाद में सम्मिलित करने का कारण भी नहीं बताया गया है अतः उक्त वाद अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने से चलने योग्य नहीं है। वादी ने अब तक संपूर्ण भूमि का विवरण नहीं दिया है तथा न ही शेष भूमि के संबंध में दावा न करने का कोई कारण भी बताया है। जब तक इसका पूर्ण स्पष्टीकरण न आ जावे पूर्ण उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। एकीकरण में स्वयं वादी का खाता अलग बना है जब संपूर्ण भूमि शामिल थी तो वादी का खाता सम्मिलित भूमि में अलग खाता किस प्रकार बना जिससे स्पष्ट है वादी ने सारे तथ्यों को छिपाया है अतः वह जब तक संपूर्ण भूमि का विवरण देकर स्पष्टीकरण न कर दे प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। भूमि ख0नं0 376 से वादी का कोई संबंध नहीं है तथा न ही कभी उसकी भूमि पर कब्जा रहा है और न ही अब उसका भूमि की खातेदारी से ही कोई संबंध है अतः वह वाद घोषणा लाने का अधिकारी नहीं है। रामकिशन की जितनी भूमि थी वह संपूर्ण वादी प्राप्त कर चुका है अतः उक्त भूमि के संबंध में वादी का दावा लाने का अधिकारी नहीं है। वादी का भूमि पर कब्जा नहीं है अतः दावा बिना प्रार्थना कब्जा चलने योग्य नहीं है।

वादी व प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर कायम की गयी तनकियों का निम्नानुसार निर्णय किया गयाः–

1. आया छोगा व रामकिशन मोहना के लडके सगे भाई है। छोगा की मृत्यु हो गई जिसका मृतक भोमा लडका था और मृतक भोमा के प्रतिवादी नं. 1 व 2 लडके है। जिम्मेवादी

   उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं की पूर्व में तनकी पर बहस सुनी गयी थी। वादी के द्वारा पत्रावली में सजरा खानदान पेश नहीं किया। वकील प्रतिवादी ने तनकी की पुष्टि की जिससे उक्त तनकी को वादी के पक्ष में आंशिक सिद्व होती है।

Contd--3

2. आया संवत 1994 दीगर आराजियात के अलावा ख.नं. 346 व 348 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा मौजा लालगढ में मृतक छोगा व मृतक रामकिशन के नाम तथा दीगर व्यक्ति रुगनाथ पुत्र जीता जिसमें छोगा व रामकिशन का 1/2 हिस्सा व रुगनाथ का 1/2 हिस्सा है। जिम्मेवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को उक्त तनकी पर सुनने के पश्चात वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त तनकी वादी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. आया प्रतिवादी नं. 1 व 2 में आपस में भूमि का बंटवारा हो गया। ख.नं. 346 व 348 वादी का 1/2 भाग, रामकिशन का वारिस होने के कारण तथा 1/2 भाग छोगा के वारिस होने से प्रतिवादीगण का है। एकीकरण में ख.नं. 376 बना जिसका रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा बना तथा शेष रकबा दूसरे नम्बरों में चला गया। जिम्मेवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं को उक्त तनकी पर सुनने के पश्चात वकील वादी के द्वारा तनकी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तनकी वादी के पक्ष में साबित नहीं होती है।

4. आया ख.नं. 376 वादीगण आधे उत्तर–पूर्व वाले भाग पर काश्त करते है। जिम्मेवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वकील वादी पर था। वादी उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे है।

5. आया ख.नं. 376 भू–अभिलेखों में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। भू–एकीकरण विभाग को पैतृक संपति को अकेले प्रतिवादीगण के नाम लगाने का अधिकार नही था। जिम्मेवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी के संबंध में वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं को सुना गया। वकील वादी ने तनकी के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष में साबित होती हो।

6. आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मेवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जिससे वादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। उक्त तनकी को वादी सिद्ध नही कर पायें।

7. आया छोगा के अन्य पुत्रों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। जिसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को उक्त तनकी पर सुनने के पश्चात वादी छोगा के अन्य पुत्रों को पक्षकार बनाना चाहिये जो नहीं बनाया गया है। वादी स्वय ने भी स्वीकार किया है कि समस्त वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

8. आया वादीगण का भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः बिना प्रार्थना कब्जा चलने योग्य नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

Contd--4

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को उक्त तनकी पर सुनने के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण का है जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में साबित होती है।

9. आया वादी ने पक्षकारों की सारी भूमि को दावे में सम्मिलित नहीं किया है तथा न ही यह बताया है कि एकीकरण से पूर्व किस पक्षकार की कितनी भूमि थी तथा एकीकरण के पश्चात किस पक्षकार को कितनी भूमि मिली। उक्त स्पष्टीकरण के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है।

—जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं को उक्त तनकी पर सुनने एवं रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी ने पक्षकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

10. आया वाद भूमि एकीकरण कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसे सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः वाद आर्डर 7 रुल 11 में खारिज किये जाने योग्य है।

—जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था वादी व प्रतिवादीगण को उक्त तनकी पर सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रतिवादी वकील उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित नहीं कर सकें।

11. वादी किस सहायता का अधिकारी हैं। —जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी व प्रतिवादीगण को वाद पत्र पर सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधिक रुप से पेश नहीं करने के कारण वादी को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती है।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादी ने एक वाद बाबत इश्तकरार हक तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का बाबत ख.नं. 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम लालगढ तहसील बस्सी जिला के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि साबिक संवत 1994 से 2003 की पैमाईश बन्दोबस्त केवल दीगर आराजी के अलावा आराजी ख.नं. 346 रकबा 16 बिस्वा, ख.नं. 348 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा मौजा लालगढ मृतक रामकिशन 1/2 हिस्सा व रघुनाथ पुत्र जीता हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज थी। वादी रामकिशन का पुत्र है तथा प्रतिवादीगण छोगा के वारिसान है। उक्त भूमि का उपयोग बहैसियत खातेदार काश्तकार रुघनाथ, छोगा व रामकिशन सम्मिलित रुप से करते थे लेकिन बाद में रुघनाथ के वारिसान व वादी एवं छोगा के वारिसान प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने आपस में भूमि के बंटवारे हो गया। रजिस्टर चकबंदी मौजा लालगढ संवत 1994 से 2003 में दर्ज ख.नं. 346 व 348 जिसके वर्तमान ख.नं. 376 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा है जो एकीकरण कार्यवाही में बने। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता रामकिशन की कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है तथा वादी के पिता के नाम चले आ रहे खातेदारी इन्द्राज को बन्दोबस्त/एकीकरण अधिकारी द्वारा विलोपित किये जाने का अधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है। बन्दोबस्त/एकीकरण कार्यवाही में बिना

Contd--5

क्षेत्राधिकार के राजस्व रिकार्ड में किया गया परिवर्तन पूर्णत अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से विधिक दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमि में अपने निहित हक व अधिकारों की खातेदारी घोषणा कराने का वैधानिक रुप से अधिकारी है।

वकील वादी व प्रतिवादी की वाद पत्र पर पूर्व मे बहस सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रतिवादी ने अवगत कराया कि वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श EX D1 से EX D5 में दर्शायी गयी समस्त भूमि का वाद पत्र में समावेश नहीं किया है तथा उक्त वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड अनुसार एकीकरण से पूर्व ख. नं. 346, 348 में 1/2 हिस्से के खातेदार रुगनाथ वल्द जीता तथा 1/2 हिस्से की खातेदार छोगा व रामकिशन पिता मोहना थे तो वादग्रस्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से की खातेदारी की खातेदारी कैसे क्लेम कर सकता है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में संवत 2015 में वादग्रस्त भूमि संयुक्त भूमि थी। भू प्रबंध विभाग के द्वारा एकीकरण के समय की गई प्रविष्टियों को चेन्ज करने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एकीकरण कार्यवाही में दर्शित प्रविष्टियों के संबंध में वादी को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उसको समयावधि में आपति पेश कर दुरुस्ती करवानी चाहिये थी। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभय पक्षों की पूर्व में की गयी बहस पर मनन करने तथा केम्प कोर्ट स्थल पर वादी व प्रतिवादीगण को वाद पत्र पर सुनने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी चक नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम लालगढ तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज में संवत 2015 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार समस्त भूमियों को शामिल नहीं किया है तथा संवत 2015 के रिकार्ड अनुसार समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है संवत 2015 में रिकार्ड में हुई गलत प्रविष्टियों को रामकिशन ने भू प्रबंध विभाग में समयावधि में चैलेन्ज नहीं किया है। वाद के विधिक निर्णय हेतु समस्त पक्षकारों को व वाद पत्र से संबंधित समस्त भूमियों को सम्मिलित करना चाहिये। वादी द्वारा संवत 2015 के रिकार्ड अनुसार समस्त भूमि का व समस्त पक्षकारों को वाद पत्र में सम्मिलित नहीं करने एवं भूप्रबंध विभाग से संवत 2015 में हुई गलत प्रविष्टियों को खातेदार रामकिशन द्वारा समयावधि में दुरुस्त न कराने के कारण वादी द्वारा वादपत्र में चाही गयी रिलीफ दिया जाना संभव नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप न होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफतर हो।

आज दिनांक 02.05.2018 को यह निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प लालगढ में मजमें आम में सुनाया गया।

2.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.

दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. कल्याण पुत्र रामकिशन
जाति मीणा निवासी लालगढ
तह. बस्सी।

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र भोमा
2. बिरदीचन्द पुत्र भोमा
जाति मीणा निवासी लालगढ
तह. बस्सी।

दावा बाबत इश्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी व तकासमा

दिनांक 02.05.2018

मुकदमा नम्बर 288/16

वादग्रस्त आराजी चक नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम लालगढ तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज में संवत 2015 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार समस्त भूमियों को शामिल नहीं किया है तथा संवत 2015 के रिकार्ड अनुसार समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है संवत 2015 में रिकार्ड में हुई गलत प्रविष्टियों को रामकिशन ने भू प्रबंध विभाग में समयावधि में चैलेन्ज नहीं किया है। वाद के विधिक निर्णय हेतु समस्त पक्षकारों को व वाद पत्र से संबंधित समस्त भूमियों को सम्मिलित करना चाहिये। वादी द्वारा संवत 2015 के रिकार्ड अनुसार समस्त भूमि का व समस्त पक्षकारों को वाद पत्र में सम्मिलित नहीं करने एवं भूप्रबंध विभाग से संवत 2015 में हुई गलत प्रविष्टियों को खातेदार रामकिशन द्वारा समयावधि में दुरुस्त न कराने के कारण वादी द्वारा वादपत्र में चाही गयी रिलीफ दिया जाना संभव नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप न होने के कारण खारिज किया जाता है। ....

..निजी..................मुबलिक......................बाबत..खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.......................... 2.5.18

ओहदा..........................

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		

Contd--2

खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे ड़िक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी